नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 इ-मेल: mgahvpro@gmail.com

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

संविधान दिवस पर 'भारतीय संविधान का तत्वज्ञान' विषय पर परिसंवाद

सामाजिक न्याय है संविधान की नींव -डॉ. एम. एल. कासारे

वर्धा दि. 27 नवंबर 2015: भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के केंद्र में सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण तत्व समाहित है। संविधान का उद्देश्य मा

नवतावादी है और यह अपनी गतिमान अवधारणाओं के साथ ज्ञान, तरक्की और विकास की

विचारधारा को आगे बढ़ाता है। उक्त विचार डॉ. आंबेडकर के विचारों के चिंतक डॉ. एम. एल. कासारे ने व्यक्त किये। वे संविधान दिवस के मौके पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 'भारतीय संविधान का तत्वज्ञान' विषय पर समता भवन में आयोजित परिसंवाद में बतौर मुख्य वक्ता

बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. एल. कारूण्यकरा ने की। इस अवसर पर मंच पर डॉ. आंबेडकर अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. मनोज कुमार, अनुवाद अध्ययन विभाग के अध्यक्ष प्रो. देवराज, विकास एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉ. नृपेंद्र प्रसाद मोदी उपस्थित थे।

डॉ. कासारे ने संविधान का तत्वज्ञान विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और यह भारत का क्रांतिकारी घोषणपत्र है। उन्होंने कहा कि न्यायोचित समाज की स्थापना और सामाजिक न्याय की भावना तथा भारतीयता

का भाव इन महत्वपूर्ण सूत्रों पर संविधान का तत्वज्ञान समाहित किया हुआ है। उन्होंने संविधान बनाने के लिए डॉ. आंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि डॉ. आंबेडकर ने संविधान को लिखते समय आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया था और उनका मानना था कि इनकी मजबूती के बगैर राजनैतिक मजबूती नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि अनेक विचारों का तत्वज्ञान भारतीय संविधान में अंतर्भूत है।

प्रो. देवराज ने कहा कि संविधान की प्रास्ताविका में आत्मार्पित शब्द का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है, परंतु क्या हम संविधान को वास्तविक रूप में आत्मार्पित कर पाए हैं। उन्होंने डॉ. आंबेडकर के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान को समय के अनुसार परिवर्तन करने की

बात डॉ. आंबेडकर ने कही थी परंतु अब तक हुए संशोधन कितने आवश्यक है इसपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। प्रो. मनोज कुमार ने कहा कि गांधी और आंबेडकर को मूल्यों की नजरों से देखना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन की बात कही। अध्यक्षीय उदबोधन में प्रो. कारूण्यकरा ने कहा कि न्याय, समता और बंधुता यह संविधान के सार शब्द है और इसे एक शब्द में व्याख्यायित किया जाए तो सामाजिक न्याय ही संविधान का केंद्र बिंदू है।

परिसंवाद में विकास एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉ. नृपेंद्र प्रसाद मोदी, स्त्री

अध्ययन विभाग के छात्र रजनीश आंबेडकर, दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र के छात्र नरेश कुमार साहु आदि ने भी संविधान, आरक्षण का प्रश्न, सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दे आदि विषयों को

लेकर अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रो. मनोज कुमार ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अध्यापक, अधिकारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।